

# राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

क्रमांक : मुख्या/याता./संचा./2020/165

दिनांक : २५/०२/२०२०

## कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को अच्छी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये समय-समय पर अनेक निर्देश जारी किये जाते रहे हैं तथा ये परिपत्र निगम की वेबसाईट [www.rsrtc.rajasthan.gov.in](http://www.rsrtc.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है। इस आदेश के माध्यम से पुनः कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों को दोहराया जा रहा है तथा यह उम्मीद की जाती है कि इन परिपत्रों की पालना इस आदेश के सन्दर्भ में अवश्य की जायेगी तथा केवल इस आदेश को अग्रेषित करना ही काफी नहीं है बल्कि इन्हे लागू करने के लिये उचित कार्यवाही भी की जाये :—

- मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक एफ12/मुख्या/याता/ संचा/2018/566 दिनांक 16.11.2018 द्वारा वाहन का निर्धारित मार्ग पर संचालन होने पर बाईपास से नहीं निकलने के लिए पाबन्द किया गया था।
- महिलाओं की सीटों के कम में पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक:एफ-4/मुख्या/याता/लेखा(32)/14 दिनांक 07.01.2016 को भी ठीक से लागू करने के सम्बन्ध में अतिरिक्त निर्देश अलग से जारी किये जा रहे हैं।
- आगार कार्यालय तथा कार्यशाला में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी दोनों समय पर उपस्थिति दर्ज करावे तथा विभाग के वाट्सएप ग्रुप RSRTC ATTENDANCE/INCOME पर आदेश क्रमांक 126 दिनांक 18.02.2020 के अनुसार फोटो भिजवाना सुनिश्चित करें।
- आगार द्वारा संचालित वाहनों के चालक सीट के पीछे की जगह पर मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम सम्बन्धित सूचना निम्नानुसार सुपष्टि अंकित करवाये :—

आप आरक्षित महिला सीट / स्टाफ के व्यवहार,  
अन्य शिकायत अथवा सुझाव हेतु सम्पर्क करें :—

मो०९०९०वाट्सएप नं० : 9549456745  
टोल फ्री नम्बर : 18002000103  
ईमेलआईडी : emcomplaint.rsrtc@rajasthan.gov.in

इसके संबंध में शीघ्र ही मुख्यालय द्वारा स्टीकर आगारों को उपलब्ध करवा दिये जावेंगे।

(नवीन जैन)  
प्रबन्ध निदेशक  
दिनांक : २५/०२/२०२०

क्रमांक : मुख्या/याता./संचा./2020/ 165

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान परिवहन निगम, जयपुर।
- कार्यकारी निदेशक, (प्रशा०/याता०/विधि/यांत्रिक), रा.रा.प.प.नि., मुख्यालय, जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, रा.रा.प.प.नि., मुख्यालय, जयपुर।
- उप महा प्रबन्धक (प्रशा०/याता०/बजट/आईटी/सॉलियर्स), रा.रा.प.प.नि., मुख्यालय, जयपुर।
- कार्यकारी प्रबन्धक (जन-सम्पर्क), रा.रा.प.प.नि., मुख्यालय, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र ही समस्त आगारों को स्टीकर उपलब्ध करावे।
- मुख्य उत्पादन प्रबन्धक, केन्द्रीय कार्यशाला.....
- मुख्य प्रबन्धक, राज०परिवहन निगम.....
- प्रबन्धक (याता०/संचा०), राज० परिवहन निगम.....
- आदेश पत्रावली।

२५/०२/२०२०  
(एम०पा०मला)  
कार्यकारी निदेशक (याता०)